प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई वृत्त-उ0प्र0।

2. समस्त अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड-उ0प्र0।

3. समस्त सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई उपखण्ड-उ0प्र0।

पत्रांकः-504 /ल0सिं0/कार्य0/रा.ग्रा.पे.का-चेक0/2017-18 दिनांक 04 अगस्त,2017

विषयः- चेकडैम के निर्माण के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों के दायित्वों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत चेकडैम के निर्माण हेतु गाइड लाइन्स लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनु0-2 के शासनादेश संख्या-609/62-2-2015-19एम0आई0/2014टीसी दिनांक 12.06.2015 प्रभावी है। इसके पश्चात् विभिन्न उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों एवं शासनादेशों में की गई व्यवस्था तथा समय-समय पर चेकडैम निर्माण में आ रही समस्या एवं शिकायतों के दृष्टिगत उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में वर्णित विभिन्न स्तरों पर दायित्वों के निर्धारण हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये है।

2. चेकडैम के निर्माण के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश में निर्धारित विभिन्न स्तरों के दायित्वों के अतिरिक्त कुछ और दायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि चेकडैम निर्माण की परियोजनाओं की संरचना एवं क्रियान्वयन और अच्छी तरह से हो सकें।

ऐसी स्थिति में उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में उल्लिखित सारणी के अतिरिक्त चेकडैम निर्माण में निम्न विवरणानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त दायित्वों का निर्धारण किया जाता हैः-

क0 सं0	कार्य का विवरण	उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी
1	स्थल चयन करना	अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चेकडैम के निरीक्षण में यह देखेंगे कि चेकडैम का स्थल चयन निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार हुआ है कि नहीं और यदि नहीं हुआ है तो सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता को प्रेषित करेंगे।
2	चेकडैम निर्माण हेतु डिजाइन एवं ड्राइंग के लिए डाटा इक्ट्ठा करना। जी0पी0एस0 फोटोग्राफ्स/ कोआर्डिनेट लेना/ कैचमेन्ट का सर्वेक्षण इत्यादि	यदि भविष्य में इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

<table>
<tr><td>3</td><td>डिजाइन/ड्राइंग एवं परियोजना तैयार/विरचित करना।</td><td>सहायक अभियन्ता डिजाइन/ड्राइंग के साथ जी0पी0एस0 फोटोग्राफ्स संलग्न हों, के लिए उत्तरदायी होगें तथा अधिशासी अभियन्ता उक्त को सुनिश्चित कर लेने के पश्चात् डिजाइन/ड्राइंग अधीक्षण अभियन्ता को भिजवाने हेतु उत्तरदायी होगें।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्राक्कलन तैयार/गठित करना।</td><td>गठित प्राक्कलन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता उत्तरदायी होगें।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>डिजाइन एवं ड्राइंग की चेकिंग कर अनुमोदित करना।</td><td>सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता उक्त प्रकार से प्राप्त होने वाले फोटोग्राफ व अन्य संबंधित डाटा मुख्यालय के जी0आई0एस0 सेल को आनलाइन भिजवायेगें; उक्त सेल द्वारा वैलिडेट किये जाने के उपरान्त डिजाइन/ड्राइंग पर अनुमोदन प्रदान करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा निम्न प्रमाण पत्र अंकित करेगें–
<u>Certificate By Supretending Engineer</u>
It is certified that rates taken in………checkdam,village………Block…………….. District……on Nala/Stream………has been taken from the ID schedule of rates of Irrigation department/analysis of rates approved by the undersigned/prevalent in the district, which are correct. Design and drawing of all the items according to guidelines are attached in the project , which have been approved by me.
(Signature of S.E.)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>चेकडैम का लेआउट तैयार करना।</td><td>अवर अभियन्ता का दायित्व होगा कि जिस स्थल हेतु डिजाइन की गयी है उसी स्थल पर लेआउट तैयार किया जाये।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>कार्य स्थल पर ठेकेदार द्वारा अण्डर साइज/ओवर साइज सामग्री को लाकर प्रयोग करने की प्रवृति को हतोत्साहित करना तथा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही कार्य में प्रयोग करना।</td><td>यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित मानक की सामग्री प्रयोग नहीं की जाती है तथा दिये गये निर्देशों की उपेक्षा की जाती है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता उत्तरदायी होगें।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा मापी की चेकिंग कार्य।</td><td><table>
<tr><th>अधिकारी का पदनाम</th><th>ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य</th><th>विभाग द्वारा किये गये कार्य</th></tr>
<tr><td>अधिशासी अभियन्ता</td><td>5 प्रतिशत्</td><td>2 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>सहायक अभियन्ता</td><td>25 प्रतिशत्</td><td>15 प्रतिशत्</td></tr>
</table>उक्त मापी की चेकिंग मौके पर जाकर सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान करना।</td><td>प्राक्कलन स्वीकृत करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता स्वयं स्थल का निरीक्षण करके प्राक्कलन में दी गयी सभी मदों की पुष्टि एवं संतुष्टि होने के उपरान्त ही प्राक्कलन स्वीकृत करेंगे तथा निम्नानुसार प्रमाण–पत्र अंकित करेगें–</td></tr>
</table>

C:\Users\my\Desktop\Pankaj\pankaj je.docx

		Certificate By E.E./S.E. It is certified that the survey in......checkdam, village.........Block .... District...... on Nala/Stream has been done properly and all levels have been taken correctly. Proposed site of the checkdam is proper and as per guidelines. I further certify that the items taken in the estimates are accordingly to the need and prevailing guidelines. Rates of different items taken in the estimates are as per latest schedule of rates. (Signature of E.E./S.E.) यदि प्राक्कलन उनकी अधिकार सीमा से बाहर का है तो अधीक्षण अभियन्ता को उक्त प्रमाण पत्र सहित स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेगें। अधीक्षण अभियन्ता भी प्राक्कलन स्वीकृत करने से पूर्व स्थल का निरीक्षण करेंगे और सभी मदों की पुष्टि एवं संतुष्टि होने के उपरान्त ही प्राक्कलन स्वीकृत करेगें और उपरोक्तानुसार प्रमाण-पत्र अंकित करेगें।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त शासनादेश दिनांक 12.06.2015 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित उत्तरदायित्व यथावत रहेगें तथा उपरोक्त उत्तरदायित्व अतिरिक्त होगें।

भवदीय,

5/8/2017

(पी0आर0 चौरसिया)

मुख्य अभियन्ता

पत्रांकः-504 /ल0सिं0/कार्य0/रा.ग्रा.पे.का-चेक0/2017-18तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- गार्ड फाइल।

5/8/2017

(पी0आर0 चौरसिया)

मुख्य अभियन्ता

5.8.2017